and its diversion through canals and other modes to the areas which are periodically hit by drought and hunger deaths. This should be done on top priority basis under the Centrally-sponsored schemes or projects, as the State has no resources of its own for this gigantic task. I would like to make an earnest appeal to the Centre that they should lend their ears to this human task to ameliorate and mitigate the miseries and sufferings of my State Orissa.

SHRI B.J. PANDA (Orissa): Sir, I associate myself with the sentiments expressed by the hon. Member.

MS. PRAMILA BOHIDAR (Orissa): Sir, I also associate myself with the Special Mention of the hon. Member.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Satish Pradhan wants to say something good. Though the House is not so full but he wants to mention something nice. Something nice should also be mentioned in the House, and not all the time complaints.

FELICITATIONS TO MEDAL WINNERS AT COMMONWEALTH GAMES

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): मैडम्, बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूं। भारत की ओलम्पिक में बहुत बुरी स्थिति रहती है, सूखे जैसी स्थिति रहती है पदक के बारे में। लेकिन मेनचेस्टर में जो कॉमनवैल्थ गेम चल रहे हैं वहां भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यह भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनन्दन करना चाहिए। भारत के ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और हमारे राज्य सभा के सांसद श्री सुरेश कलमाडी का भी अभिनन्दन करना चाहिए जो अभी यहां नहीं हैं। उनको आगे के लिए मैं शुभकामना देता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We all share your sentiments and send our compliments and good wishes to those who have won and those who have tried. We hope next time they would do it.

GOVERNMENT BILLS

The Merchant Shipping (Amendment) Bill 2002

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI O. RAJAGOPAL): Madam, on behalf of Shri Vedprakash P. Goyal, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958 and the Major Port Trust Act, 1963.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI O. RAJAGOPAL: Madam, I introduce the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at fifteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at sixteen minutes past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK) in the Chair

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002 पर चर्चा जारी रखेंगे और श्रीमती चन्द्रकला पांडे जी का भाषण अधूरा रह गया था, वह पूरा किया जाए।

THE INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2002 - *Contd.*

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक पर आगे बोलते हुए कष्ट हो रहा है क्योंकि मैंने जब इस पर बोलना शुरू किया था तो स्वर्गीय माननीय कृष्ण कान्त जी चेयर पर थे। उनकी स्मृति शेष को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, मैं अपनी बात आगे कहती हूं। यह जो संशोधन लाया गया है वह निःसंदेह स्वागत योग्य है क्योंकि यह गलत केन्द्रों में हस्तक्षेप करने और सही केन्द्रों को एफिलियेशन देने की दिशा में एक सार्थक कदम है। लेकिन यह सभी जानते हैं कि मेडीकल काउंसिल द्वारा रिकगनीशन देने के पहले एक टीम सर्वेक्षण करने के लिए भेजी जाती है जोकि प्रस्तावित कालेज के पास जमीन और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाएं हैं या नहीं, उनका सर्वेक्षण करके अपनी रिपोर्ट देती है। कई बार ऐसा होता है कि सर्वेक्षण टीम को पंचतारा होटल में रखा जाता है, उनकी खातिर की जाती है। कभी-कभी अपूर्ण भवन, कम बिस्तर, अत्यधिक कम कर्मचारी, आधे-अधूरे ज्ञान वाली फैकल्टी, जोकि संख्या में भी कम होती हैं और ज्ञान के परिमाण में भी कम होती हैं, उन्हें न जाने कैसे रिकगनीशन दे दिया जाता है। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि एक सर्वेक्षण टीम को प्रभावित करने के लिए टेम्परेरी बिस्तर लगा दिए गए, रास्ते चलते लोगों को मरीज बनाकर लिटा दिया गया, भाड़े पर कुछ डाक्टर भी जुटा लिए गए और यह दिखा दिया गया कि हमारे पास सब कुछ है। इन्सपैक्शन भी आधा-अधूरा रह गया। वहां पर टीम गई और सारा खेल खत्म हो गया। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मेडीकल काउंसिल कंडीशनल रिकगनीशन देती है और दो-तीन साल के बाद वह यह कहकर रिकगनीशन वापस ले लेती है कि पैरामीटर्स पूरे नहीं हुए हैं। ऐसी अवस्था में यह सोचने की बात रह जाती है कि जिन छात्रों ने प्रवेश लिया था, उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? ऐसे कई कालेजों की चर्चा मिलती है जोकि श्रीनगर में है, रोहतक में है, हरियाणा में है। इन में कुछ सीट रिजर्व भी कर देते हैं और अनाप-शनाप डोनेशन भी ले लेते हैं। गत वर्ष तक पेरियरम मेडीकल कालेज को रिकगनीशन नहीं मिला था, अब तक मिला है या नहीं मिला है, यह मुझे पता नहीं है। इस युग में जब हम आटोनॉमी की बात करते हैं, तो इस बिल से कहीं ऐसा न हो कि अतिरिक्त हस्तक्षेप हो जाए और काम उल्टा होने लगे। पहले दो तरह की मेडीकल इंडस्ट्री चल रही थी, फारमेसुटीकल और इंस्ट्रूमेंटेशन और आज यह तीसरी